VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1812)

Name of Candidate	Arpit kumar.		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	546705
Center	Online.	Date	13/09/21

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. What are the basic functions of a constitution? Illustrate in the context of the Indian Constitution.
संविधान के मूल कार्य क्या हैं? भारतीय संविधान के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समझाइए।

संविधान मूलत: किसी भी देश की शासन पद्धति का प्रतिबिंब होता है जिसके द्वारा मुख्य कार्यों का निर्वहन होता है-

I. शासन पद्धति का स्वरूप क्या होगा
उदा. संसदीय, अध्यक्षीय, अर्द्ध अध्यक्षात्मक

II. सरकार के गठन का तरीका

III. जनता के अधिकार

IV. जनता के समुचित विकास के लिए अनेकों प्रावधान
उदा. नीति निदेशक तत्व, संवैधानिक संस्थाएँ.

संविधान का गठन मुख्य तौर पर एक संविधान सभा के द्वारा होता है.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

यह संविधान सभा निर्वाचित या मनोनीत भी हो सकती है; भारत के संदर्भ में यह निर्वाचित निकाय थी।

भारत में संविधानवाद की परंपरा रही है व भारत के संविधान द्वारा निम्न कार्यों का निर्वहन होता है-

1. भारतीय संविधान शासन पद्धति का स्वरूप - संसदीय (अनु. 74-75 व 163-164) निर्धारित करता है।

II. भारत में सरकार के गठन का तरीका सर्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए लोगों द्वारा होता है।

III. भारतीय संविधान अपने लोगों को मूल अधिकार (अनु. 12-35) के द्वारा विस्तृत अधिकार प्रदान करता है।

't write
hing this
argin
(इस भाग में
कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसके अतिरिक्त निम्न प्रावधानों का उपबंध करता है-

I. कल्याणकारी राज्य के लिए नीति-निदेशक तत्व

II. विकेंद्रीकरण: स्थानीय शासन (भाग 9)

III. भारतीय संविधान, अन्य संविधानों की भाँति अपने संशोधन के भी तरीके का भी उपबंध करता है। (अनु. 368)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि संविधान किसी भी देश में शासन पद्धति का स्वरूप व जनता की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने वाला दस्तावेज होता है।

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Highlighting the functions of National Green Tribunal, discuss its importance and limitations.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए, इसके महत्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया था। यह एक सांविधिक एवं अर्द्ध न्यायिक निकाय है।

N.G.T. का उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षण है।

कार्य:

1. पर्यावरण संरक्षण से जुडे मामलों का तीव्र निस्तारण करना।

II. व्यक्तियों व संप्रदाय को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति संबंधी मामलों को देखना.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

III. पर्यावरण से जुड़े विधिक अधिकारों को लागू कराने से संबंधी मामलों का निस्तारण करना।

उपर्युक्त कार्यों के निर्वहन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अधिकार प्राप्त होते हैं।

महत्व :

I. पर्यावरणीय मामलों को विशेषज्ञों की नजर से समाधान प्रदान करने में सक्षम.

II. समयबद्ध निर्णयों को देना.

III. पर्यावरणीय मामलों के तीव्र निस्तारण से विकास कार्यों को गति।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समस्याएँ
- अधिकरण की बेंचों पर रिक्तियाँ ↑↑
- क्षतिपूर्ति की सिर्फ अनुशंसा
- समयबद्धता का पालन न कर पाना
- वन संरक्षण अधि. के तहत अधिकार प्राप्त न होना।

उपर्युक्त समस्याओं पर दृष्टिगत करते हुए इसे और शक्तियाँ प्रदान की जाएँ व रिक्तता को तत्काल भरा जाना चाहिए।

anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Bring out the difference between the First Past the Post (FPTP) and Proportional Representation (PR) systems. Also, explain the merits and demerits of each for a country like India.

पहले खंभा छूने वाली पद्धति (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम: FPTP) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) पद्धति के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। साथ ही, भारत जैसे देश के लिए प्रत्येक के गुणों और दोषों की भी व्याख्या कीजिए।

उत्तर- विश्व की प्रत्येक सरकार अपने अस्तित्व को वैधता प्रदान करने के लिए चुनावों का प्रावधान करती है. जिसके परिणामत: हमारे पास 2 प्रकार की चुनाव प्रक्रियाएँ हैं.

	फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम	आनुपातिक प्रतिनिधित्व
I.	सर्वाधिक मत प्राप्त कर्ता विजयी	प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर प्रतिनिधित्व
II.	उदा· भारत, ब्रिटे	उदा· फ्रांस
III	व्यापक प्रतिनिधित्व की संभावना कम	लगभग हर समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv.	मतदाताओं के लिए समझने में आसान.	अपेक्षाकृत जटिल प्रक्रिया
v.	प्रत्याशी का महत्व अधिक	पार्टी का महत्व अधिक
vi.	बड़े क्षेत्र में लागू करना अपेक्षाकृत आसान	छोटे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक आसान.

भारत ने स्वतंत्रता उपरांत फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति को अपनाया जिसके निम्न कारण थे -

i. इस पद्धति से अनुभव प्राप्त था (पूर्व में ब्रिटिश भारत में लागू)

ii. तत्कालीन जनसंख्या का एक छोटा सा भाग ही साक्षर था, इसमें जटिलता कम.

11/. राष्ट्र के एकीकरण के लिए आवश्यक (स्थायी सरकार)

भारत: फर्स्ट पास्ट द पोस्ट

- गुण: विशाल जनसंख्या : आसान प्रक्रिया
  - प्रत्याशी - मतदाता संबंध ↑↑
  - स्थायी व शक्तिशाली सरकार का गठन
- दोष: समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं
  - भारत की बहुलता को संसद में स्थान न मिलना.

आनुपातिक पद्धति

- गुण: हर वर्ग का प्रतिनिधित्व
  - लोकतंत्र को मजबूती.
- दोष: पार्टी आधारित राजनीति को बल
  - क्षेत्रीय, धार्मिक गुटबंदी का खतरा.

विधि आयोग व संविधान समीक्षा आयोग के सुझावों के अनुसार भारत को दोनों पद्धतियों के मिश्रित रूप को अपनाने पर बल देना चाहिए

4. The Indian Constitution strikes a balance between flexibility and rigidity. Comment.
भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। टिप्पणी कीजिए।

लचीलेपन और कठोरता के मानकों के आधार पर विद्वानों द्वारा भारतीय संविधान को 'संतुलित रूप' में कहा गया है जो निम्न प्रकार स्पष्ट होता है-

संविधान। संशोधन के स्वरूप के आधार पर लचीलेपन व कठोरता में वर्गीकृत होता है-

संविधान के ऐसे प्रावधान जो साधारण बहुमत से संपन्न होते हैं - (लचीलापन)

I. नागरिकता (अनु. 5-11)
II. राज्यों का स्वरूप (अनु-3)
III. राज्यों में विधानपरिषद का गठन
IV. संसद में भाषा का प्रयोग
V. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

vi. उच्चतम न्यायालय का विस्तारक्षेत्र आदि.

हालांकि भारतीय संविधान में अनेकों ऐसे प्रावधान हैं जो विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधित हो सकते हैं-

संसद द्वारा विशेष बहुमत से संपन्न	संसद के साथ-2 आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति.
मूल अधिकार	उच्चतम न्यायालय
महाभियोग	उच्च न्यायालय
स्वतंत्र आयोगों पर नियंत्रण.	विधायी सूचियों में संशोधन

केशवानंद भारती निर्णय के बाद संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संसद की सांविधानिक शक्ति द्वारा भी संशोधित नहीं हो सकते जो मूल ढांचे का भाग हैं

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

यथा· न्यायिक समीक्षा
धर्मनिरपेक्ष चरित्र आदि.

"इस प्रकार स्पष्ट है कि
भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन
के सुंदर संतुलन पर टिका हुआ है।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. What is a pressure group? Describing the functions that it performs, explain how it is different from a political party.
दबाव समूह क्या है? इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करते हुए, स्पष्ट कीजिए कि दबाव समूह किस प्रकार राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं।

दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जिनका निश्चित ढाँचा होता है; लक्षित जनसमूह होते हैं; स्पष्ट विचारधारा होती है।

यथा: हिन्दू महासभा, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिक्की (FICCI)

दबाव समूह द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. अपने समूह के कल्याण के लिए सरकार पर विभिन्न माध्यमों द्वारा दबाव बनाना
→ याचिका, आवेदन, जनसभाएँ, हड़ताल.

II. राजनीतिक चेतना का प्रसार; अपने समूह के लोगों तक.

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

III. सरकार से विभिन्न रियायतें प्राप्त करने का प्रयास करना।

IV. एक जागरूक समाज का निर्माण करना।

दबाव समूह	राजनीतिक दल
I. चुनाव आयोग में पंजीकृत नहीं होते	I. पंजीकरण अनिवार्य
II. सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य नहीं	II. मुख्य लक्ष्य = सत्ता प्राप्ति
III. सामान्यतः सीमित दायरा	III. व्यापक दायरा e.g. राष्ट्रीय, क्षेत्रीय दल
IV. चुनाव में भाग नहीं लेते	IV. चुनाव में भागीदारी.

"दबाव समूह, राजनीतिक दलों की अपेक्षा प्राथमिक स्तर पर अधिक सक्रिय होते हैं व अपने हितों के संवर्द्धन के लिए तत्पर रहते हैं।"

margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Mentioning the functions that are performed by the UPSC, discuss its working as the 'watchdog of the merit system' in India.
UPSC द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख करते हुए, भारत में 'योग्यता प्रणाली के प्रहरी' के रूप में इसकी कार्य-प्रणाली पर चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान में अनु. (315-323) के द्वारा संघलोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है जिसे 'भारत में योग्यता प्रणाली के प्रहरी' के रूप में परिभाषित किया गया है-

संरचना:

अध्यक्ष - नियुक्ति द्वारा राष्ट्रपति

सदस्य (सामान्यत: 8-10)
⇓
कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्ष का सरकारी अनुभव

कार्य:

1. भारत सरकार के लिए कार्मिकों के चयन की प्रक्रिया को संपन्न.

II. अखिल भारतीय सेवा, ग्रुप-ए व ग्रुप-बी के सेवकों का चयन

III. चयन के पश्चात अंतर्सेवा स्थानांतरण के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सलाह

IV. अनुशासनकारी प्रक्रियाओं का निर्वहन।

V. सरकार के विभिन्न पदों पर लेटरल एंट्री हेतु साक्षात्कार लेना.

VI. राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना या जब भी राष्ट्रपति द्वारा ऐसी मांग की जाए.

भारतीय संविधान द्वारा इसकी भूमिका 'मेरिट पद्धति के प्रहरी' के रूप में की गयी जिसे यह निम्न प्रकार संपन्न करता है-

सं. लो. से. आ. प्रकृति में स्वतंत्र है

Don't write anything in the margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

परीक्षाओं के लिए इसे पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त है जिनका उपयोग यह मेरिट पद्धति की स्थापना में करता है।

"U.P.S.C. द्वारा 70 वर्षों से अपनी भूमिका का सफल क्रियान्वयन/निर्वहन किया जा रहा है तथा यह आज सरकार के रक्षक के रूप में उभरा है।"

7. What are the various instruments available to the legislature to uphold the accountability of the executive in India?
भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही बनाए रखने के लिए विधायिका के पास उपलब्ध विभिन्न साधन क्या हैं?

उत्तर: भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है (अनु. 74, 75) जिसमें कार्यकारिणी विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है।

यह उत्तरदायित्व, विधायिका निम्न रूप में सुनिश्चित करती है-

I. अविश्वास प्रस्ताव पारित करके

II. स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, राष्ट्रपति के धन्यवाद अभिभाषण को पास न करके.

III. विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछकर-
प्रश्नकाल
शून्यकाल

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

IV. समितियों के माध्यम से -

संसदीय समितियाँ संसद के आँख और कान होती हैं जो निम्न रूप में उत्तरदायित्व सुनिश्चित कराती हैं-

ⓐ. स्थायी व तदर्थ समिति विभिन्न विधेयकों की जाँच करके

ⓑ विभागीय समितियाँ, बजट की माँगों पर विचार-विमर्श करके

ⓒ. विशेषाधिकार समिति - अर्द्ध-न्यायिक भूमिका निभाती है.

ⓓ. प्रत्यायोजित विधायन समिति- प्रत्यायोजित विधायन की जाँच करके.

ⓔ सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति.

V. कटौती प्रस्तावों को पास करके
सांकेतिक कटौती
नीतिगत कटौती आदि.

VI. विभिन्न प्रकार की चर्चाओं व वाद-विवादों के माध्यम से.

"हालांकि कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण जितना कड़ा प्रतीत होता है उतना वास्तविक नहीं है क्योंकि कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है। अतः संसद को चाहिए कि वह मौजूदा उपायों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करके कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाए।"

8. Discuss the federal and unitary features of the Indian Constitution.
भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान, भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था (अनु. 245-255) करता है - किंतु कुछ आपातकालीन उपबंध इसे एकात्मकता का पुट भी प्रदान करते हैं:-

संविधान के संघीय लक्षण -

I. स्वतंत्र न्यायपालिका (अनु. 124)

II. द्विसदनात्मक व्यवस्था (राज्यसभा, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है)

III. न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ

IV. विधायी विषयों का विभाजन
- क. संघीय सूची
- ख. राज्य सूची
- ग. समवर्ती सूची

} - सातवीं अनुसूची

राज्य अपनी प्रकृति में स्वतंत्र
v. लिखित संविधान
vi राजकोषीय संघवाद के लिए वित्त (280)
vii आयोग व G.S.T. परिषद का
(279A)
गठन।
नृजातीय संघवाद हेतु अंतर्राज्यीय
viii परिषद (263) का गठन.
वास्तविक विवादों यथा नदी जल
ix. विवादों के लिए अधिकरणों का
गठन (अनु. 262)

हालांकि भारतीय संविधान में वर्णित संघवाद अमेरिकी प्रकृति का न होकर कनाडाई संघ ज्यादा है जिसमें हमें कुछ एकात्मक लक्षण भी प्रतीत होते हैं-

1. एकल नागरिकता (अनु. 5)
एकीकृत न्यायपालिका

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

II. नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ.

III. राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति

IV आपातकालीन प्रावधान (352-360)

I. राष्ट्रीय आपातकाल

II. राष्ट्रपति शासन

III. वित्तीय आपातकाल.

"उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय संघवाद परंपरागत न होकर अनूठी प्रकृति का है जिसे 'ऑस्टिन महोदय' ने सशक्त केंद्र वाला संघ की संज्ञा दी है।"

9. Compare and contrast the Indian Judicial system with the American Judicial system.
अमेरिकी न्यायिक प्रणाली और भारतीय न्यायिक प्रणाली के मध्य समानताओं एवं विषमताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: अमेरिकी और भारतीय न्यायपालिकाएँ विश्व के शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है -

समानताएँ -

भारतीय न्यायपालिका	अमेरिकी न्यायपालिका
I. सामान्यतः नियुक्ति स्वतंत्र पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त	कार्यपालिका का नियुक्ति पर नियंत्रण
II. सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश ही मुख्यन्यायाधीश	——
III. विधि के समान संरक्षण पर बल	विधि के समान संरक्षण.
IV. न्यायिक सक्रियता का विचार	न्यायिक सक्रियता

v.	न्यायिक समीक्षा से युक्त	न्यायिक समीक्षा यहाँ भी
vi.	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ-२	विधि की यथोचित प्रक्रिया
vii	प्राकृतिक न्याय भी महत्वपूर्ण.	
viii.	मूल अधिकारों का रक्षक	मूल अधिकारों का रक्षक

विषमताएँ:

i.	एकीकृत न्यायपालिका	संघ व राज्य के लिए अलग-अलग.
ii.	नियुक्ति में पूर्ण स्वतंत्रता	अपेक्षाकृत कम.

III	महाभियोग की प्रकृति में अंतर	महाभियोग अलग
IV.	विधि द्वारा स्थापित प्राक्रिया	विधि की यथोचित प्रक्रिया

-उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जहाँ अधिकांश बिंदुओं पर दोनों न्यायपालिकाओं में समानताएँ हैं वहीं कुछ बिंदुओं पर दोनों अलग-2 भी हैं"

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Give an account of the functions performed by the National Commission for Backward Classes.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण दीजिए।

भारतीय संविधान पिछड़े वर्गों के संवैधानिक संरक्षण व कल्याण के लिए अनु. 338(ख) के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करता है -

संरचना: अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + सदस्य (सामान्यत: 3)

कार्य:

I. पिछड़े वर्गों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा का उपबंध करना

II. अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों का निवारण करना।

III.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

III. ऐसे वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना.

IV. ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति विभिन्न संसदीय उपबंधों के अधीन रहते हुए समय-2 पर सौंपे।

"आयोग को सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग वह अपने कृत्यों के निर्वहन में करता है।"

11. Explain the significance of local bodies in strengthening the democratic spirit in India.
भारत में लोकतांत्रिक भावना को मजबूत बनाने में स्थानीय निकायों का महत्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- 73वें-74वें संविधान संशोधनों के द्वारा भारत में स्थानीय निकायों की व्यवस्था करके भारतीय शासन पद्धति को त्रिस्तरीय शासन पद्धति में परिवर्तित किया है -

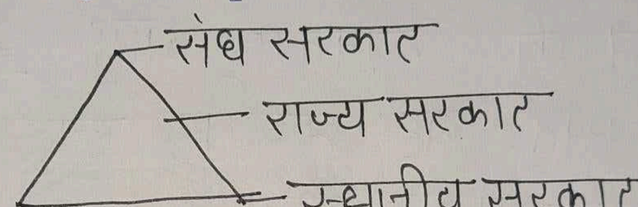

स्थानीय शासन व लोकतांत्रिक भावना -

I. स्थानीय शासन, आम-आदमी के नजदीक का ~~सा~~ शासन साबित हुआ है।

II. ग्राम सभा के माध्यम से भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया है।

III. महिलाओं को एकतिहाई आरक्षण के द्वारा भारत में शासन में महिलाओं का व्यापक पैमाने पर प्रवेश हुआ व पितृसत्तात्मक ढाँचा को आघात पहुँचा।

IV. चूँकि स्थानीय शासन में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है अतः यह प्राथमिक स्तर का लोकतंत्र प्रतीत होता है जो युवाओं को राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार करता है।

V. SC, ST आरक्षण व सहभागिता के द्वारा भारत के गाँव, नगरों का ढाँचा सहयोगकारी व समन्वयकारी हुआ है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(1996)
VI. पेसा अधिनियम, जनजाति इलाकों में आधुनिक लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करने में सफल साबित हुआ है।

VII नगर निगम, वर्तमान में राज्य व राष्ट्र स्तरीय योजनाओं के निर्माण में भागीदारी कर रहे हैं

VIII वर्तमान कोविड-19 संकट में टीके का कार्य व प्रबंधन ग्रामपंचायतें व नगरपालिकाऐं बेहतर ढंग से सहयोग कर रही हैं

हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद इसमें सुधार आवश्यक है
यथा - अनु. I. 243(G) की भावना का सम्मान.
II. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को मानना.
III. सामाजिक अंकेक्षण आदि -

12. Highlighting the reasons behind judicial pendency in India, mention the steps, which can be taken to address this problem.
भारत में न्यायिक कार्यवाही में विलंब हेतु उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालते हुए, उन कदमों का उल्लेख कीजिए, जिनसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

उत्तर: भारत में न्याय की प्राप्ति हेतु एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है किंतु हर स्तर विलंब मामलों की संख्या इस पूरी प्रणाली को तनावग्रस्त बना रही है-

न्यायिक कार्यवाही में विलंब हेतु कारण:

I. न्यायपालिका के हर स्तर पर रिक्तियों की सं. अधिक

II. हर स्तर पर अपीलीय अधिकार

III. वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र यथा (लोक-अदालत, ग्राम न्यायालय) का प्रभावी न होना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

IV. भूमि संबंधी विवादों की अधिक संख्या

V. अधिकरणों के निर्णयों पर अपीलीय अधिकार व इनकी प्रभाविता कम होना.

VI. न्यायपालिका में नवाचार की कमी.

निम्न उपायों के द्वारा भारत में त्वरित न्याय की स्थापना की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है-

1. कॉलेजियम के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए इसे संस्थागत रूप प्रदान करना.

II. अपीलीय अधिकारों की पुनर्व्याख्या के लिए आयोग की स्थापना करना (संयुक्त राज्य में उच्चतम न्यायालय सिर्फ संवैधानिक मामलों पर निर्णय देती है)

III. लोक अदालत, ग्राम अदालत व परिवार अदालतों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र - राज्य - न्यायपालिका में समन्वय स्थापित

IV. भूमि संबंधी विवादों के लिए अधिकरणों की स्थापना करना

V. अधिकरणों की रिक्तियों को पूर्ण करना

VI. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (अनु. 312) का गठन (विधि आयोग)

VII. आभासी कोर्ट का विकल्प प्रदान करना व नवाचारों को उच्चतम न्यायालय के स्तर से प्रोत्साहित

वकीलों, जजों को प्रशिक्षण प्रदान।

उपर्युक्त उपायों के द्वारा अधिक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सकती है।

VISION IAS™

13. The position of Legislative Councils in State Legislatures is much weaker than the Rajya Sabha in Parliament. Analyse.
राज्य विधान-मंडलों में विधान परिषदों की स्थिति संसद में राज्य सभा की तुलना में अत्यधिक कमजोर है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तर: भारतीय संसदीय प्रणाली में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान है जबकि राज्यों में उच्च सदन (विधानपरिषद) की स्थापना स्वैच्छिक है।

वर्तमान में राज्यों में विधानपरिषदें मौजूद हैं - उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र।

(अनु. 312)

संरचना: नियुक्ति, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से -

$1/3 + 1/3 + 1/12 + 1/12 +$ राज्यपाल द्वारा

⇓ स्थानीय निकायों द्वारा, ⇓ वि-सभा के सदस्यों द्वारा, ⇓ स्नातक (3 वर्षों से निवासी), ⇓ अध्यापक

विधानपरिषद व राज्यसभा: तुलना

विधानपरिषद	राज्यसभा
साधारण विधेयको को पुरःस्थापित करना	राज्यों का प्रतिनिधित्व
राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को स्वीकृति	अखिल भारतीय सेवाओं का गठन
संवैधानिक निकायों की रिपोर्टों पर विचार करना	धनविधेयक पर वीटो
राज्य लोक सेवा आयोग के न्यायक्षेत्र में वृद्धि	महाभियोग, संविधानसंशोधन

जहाँ राज्यसभा भारतीय संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है वहीं विधानपरिषद इस

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

दायित्व से मुक्त है।

"अगर संघीय शक्तियों को छोड़ दें तो विधानपरिषद राज्यसभा की तुलना में कहीं कमजोर नहीं ठहरती।"

14. Explaining the meaning of Contempt of Court, discuss the arguments that are advanced in its favour as well as against it.
न्यायालय की अवमानना का अर्थ स्पष्ट करते हुए, इसके पक्ष और साथ ही विपक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्कों की विवेचना कीजिए।

न्यायालय अवमानना अधिनियम - 1971, न्यायालय की अवमानना के 2 प्रकारों को वर्गीकृत करता है -

- सिविल अवमानना
  - निर्णय का इच्छापूर्वक अपमान
  - न्यायालय प्रशासन में बाधा पहुँचाना
- आपराधिक अवमानना.
  - न्यायालय की कार्यवाही में बाधा पहुँचाना

न्यायालय की अवमानना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अवमानना के पक्ष में तर्क:

1. संसद व सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो उनकी कार्यवाही को निर्बाध रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं, इसी तर्ज पर न्यायपालिका को भी ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

II. चूँकि न्यायपालिका पर जनता का विश्वास होता है और यह न्याय प्राप्त करने की अंतिम सीढी है अत: लोगों के किसी वर्ग द्वारा इसकी अवमानना होने से इसकी विश्वसनीयता कम होगी।

III. अवमानना के द्वारा लोकप्रिय व्यक्तियों द्वारा न्यायालय पर अनुचित दबाव बनाने का खतरा होता है।

विपक्ष में तर्क:

1. विकसित देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

II. न्यायालयों को अपनी आलोचना सुनने के लिए सहनशील बनना चाहिए जिससे उसमें और सुधार संभव हो सके।

III. न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हर निर्णय में बलप्रदान किया है अतः न्यायालय को खुद इसका सम्मान करना चाहिए।

न्यायपालिका, एक विश्वसनीय संस्था है जिस पर अपनी साख स्थापित किये रहने की भी जिम्मेदारी होती है किंतु इसे अवमानना को सिर्फ 'निर्णय तक सीमित' किये जाने की कोशिश करनी चाहिए।

15. What are the grounds of disqualification of membership of the Parliament and state legislatures, as mentioned in The Representation of People Act 1951?
संसद और राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता से निरर्ह घोषित किए जाने के आधार क्या हैं, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उल्लेख किया गया है?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम - 1951 निम्न आधारों पर निरर्हता के प्रावधान करता है -

I. अपराध के लिए दोषी होने पर अयोग्यता (धारा -8)
II. भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आधार पर (8A)
III. सरकारी ठेकों पर रुचि प्रदर्शित करने के आधार पर (9A)
IV. सरकारी कंपनी के अंतर्गत कार्यालय के लिए अयोग्यता (10)
V. चुनाव खर्च का ब्यौरा देने में विफलता के आधार पर अयोग्यता (11)

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर अयोग्यता के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

16. Explain the procedure through which the Constitution of India can be amended. Also, discuss its limitations.
उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जिसके माध्यम से भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साथ ही, इसकी सीमाओं पर भी चर्चा कीजिए।

संविधान में संशोधन, संविधान को जीवतंता प्रदान के लिए अत्यंत आवश्यक होते है।

भारतीय संविधान, संसद की सांविधानिक शक्तियों द्वारा 3 प्रकार से संशोधित हो सकता है-

I. साधारण संशोधन (संसद का साधारण बहुमत)
II. अनु. 368 के द्वारा संशोधन

क. विशेष बहुमत
(कुल साधा. बहुमत + उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत

ख. विशेष बहुमत + आधे से अधिक राज्यों की सहमति.

संशोधन हेतु प्रक्रिया

1. संविधान संशो. से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है -
(राज्यों को यह शक्ति नहीं है)

II. विधेयक का प्रथम वाचन
समिति अवस्था
a.
b. विचार-विमर्श की अवस्था.

III. एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में उपरोक्त प्रक्रियाएं.

IV. राष्ट्रपति को प्रेषित.

V. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा।

हालांकि उपर्युक्त प्रक्रिया में कुछ सीमाएँ भी हैं -

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

I. विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान न होना
II. राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग न होना।

इसके अलावा संसद-मूलढाँचे को संशोधित नहीं कर सकती।

भाग II (ख) के संशोधनों के लिए आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है ऐसे उपबंध मुख्यतः संघीय शासन से संबंधित होते हैं।

"इस प्रकार भारतीय संविधान जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप संशोधन का मध्यममार्ग प्रस्तुत करता है।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1812

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. The Union list prevails over the other lists in terms of distribution of legislative powers in the Indian Constitution. Discuss.
भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में, संघ सूची को अन्य सूचियों पर वरीयता प्राप्त है। चर्चा कीजिए।

उत्तर: भारतीय संसद शासन प्रणाली संसदीय के साथ-२ संघात्मक भी है जिसमें राज्य, केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे की स्थिति में होते है-

भारतीय संविधान विधायी शक्तियों का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत करता है- (सातवीं अनुसूची)

1. संघ सूची (100 विषय)
II. राज्य सूची (61 विषय)
III. समवर्ती सूची (52 विषय)

विभिन्न संवैधानिक उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ सरकार संघीय सूची पर विधान बना सकती है वहीं राज्य सरकारें राज्य सूची पर

समवर्ती सूची पर सामान्यतः दोनों कानून बना सकती हैं पर टकराहट की स्थिति में संघीय विधान को मान्यता प्राप्त होगी।

संघसूची व राज्यसूची के विधायी विषय परस्पर अलग हैं किंतु इन दोनों पर टकराव की स्थिति में संघीय सूची प्राथमिक ~~प्र~~ होगी।

उपरोक्त विश्लेषण से सूचियों की प्राथमिकता का यह क्रम निर्धारित होता है -

संघीय सूची > समवर्ती सूची > राज्यसूची

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संघीय सूची की वरीयता के कारण
1. राष्ट्रीय एकता इन विषयों पर आवश्यक यथा - संचार, विदेश.
11. संघ की सुरक्षा व अखण्डता यथा - प्रतिरक्षा मामले.

"यहाँ पर उल्लिखित करना आवश्यक है कि सूचियों के निर्वचन पर सर्वोच्च न्यायालय समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाता है तथा विधान को तब तक शून्य नहीं करता जब तक वे परस्पर विरोध में नहीं हैं"

'संघीय सूची की प्राथमिकता राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए आवश्यक प्रतीत होती है"

Call us : 8468022022, 9019066066

Visit us : www.visionias.in

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ भी ना लिखें)

18. The doctrine of Separation of Powers is the bedrock of Indian parliamentary democracy. Discuss.
'शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत' भारतीय संसदीय लोकतंत्र का आधार है। चर्चा कीजिए।

यद्यपि भारतीय संविधान अनु. 74, 75 के माध्यम से शासन की संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है; शक्ति का पृथक्करण भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता है -

शक्ति पृथक्करण भारतीय संसदीय लोकतंत्र का आधार -

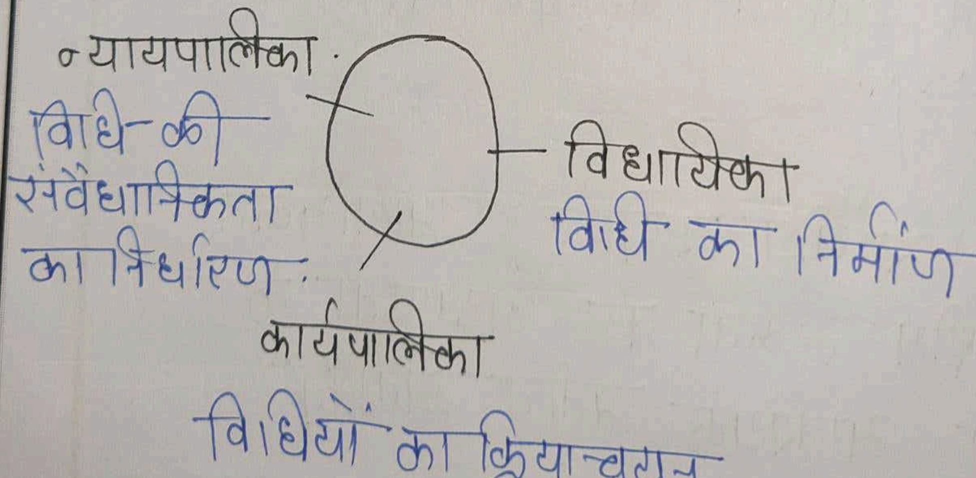

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भारतीय संविधान विधि निर्माण का कार्य सामान्यतः विधायिका को सौंपता है। तथापि कार्यपालिका कुछ मात्रा में प्रत्यायोजित विधायन संपन्न करती है।
- नियुक्ति व दैनंदिन प्रशासन का अधिकार कार्यपालिका का है। कॉलेजियम प्रणाली यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति में है।
- न्यायपालिका अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है तथा न्यायपालिका के आचरण की संसद में चर्चा नहीं हो सकती सिवाय महाभियोग के।
- न्यायपालिका, संसद के आंतरिक कार्यों पर न्यायिक कार्यवाही हेतु सक्षम नहीं है।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालांकि संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण की अपेक्षा शक्तियों के समन्वय पर आधारित है-

I. कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व
II. कार्यपालिका की विधायिका में सदस्यता
III. राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति
IV. राष्ट्रपति विधायिका व कार्यपालिका दोनों का सदस्य।

"इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान शक्ति के पृथक्करण के साथ-2 शक्तियों के मध्य समन्वयता पर भी बल देता है।"

margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Explaining the power of the President to promulgate ordinances, mention the various limitations that exist in this context.
अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को स्पष्ट करते हुए, इस संदर्भ में विद्यमान विभिन्न सीमाओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर · संविधान के अनु· 123 के द्वारा सदन (संसद) के सत्र न होने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है -

राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकता है जब :

1. संसद के दोनों सदन सत्र में न हो
अथवा
11. संसद का केवल एक सदन ही सत्र में हो । व राष्ट्रपति महसूस करे कि अत्यंत आवश्यक स्थिति है जिस पर विधि आवश्यक

चूँकि राष्ट्रपति कार्यपालिका की सलाह पर अध्यादेश प्रख्यापित करता है अतः यह संसद की विधायी शक्तियों को पूर्ण करने का तरीका है।

Call us : 8468022022, 9019066066
Visit us : www.visionias.in

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालांकि राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर ला सकता है जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति होती है व राष्ट्रपति मूल अधिकारों व संविधान को संशोधित करने का प्रयास अध्यादेश के माध्यम से नहीं कर सकता।

- राष्ट्रपति की यह अध्यादेश की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- अध्यादेशों को संसद के आगामी सत्र के 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृति मिलना आवश्यक हैं इस तरह एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह हो सकती है।

"राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति कार्यपालिका की विधायी शक्ति है. अत: राष्ट्रपति को बार-2 अध्यादेश जारी करने से बचना चाहिए (वाधवा केस: उच्चतम न्यायलय)"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Despite often being described as "first among equals", the position of the Prime Minister vis-a-vis other ministers in the Council of Ministers is one of pre-eminence. Discuss.

प्रायः "समकक्षों में प्रथम" के रूप में वर्णित होने के बावजूद, प्रधान मंत्री की स्थिति मंत्रि-परिषद् की तुलना में सर्वप्रधान है। चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान का अनु. 75(1) प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा व प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति।

चूँकि प्रधानमंत्री स्वयं मंत्रीपरिषद का सदस्य होता है किंतु सरकार का प्रधान मुखिया भी इसलिए संविधानवेत्ताओं द्वारा उसे समकक्षों में प्रथम की संज्ञा दी जाती है लेकिन वास्तविक राजनीति में वह निम्न प्रकार से मंत्रिपरिषद की तुलना में प्रधान प्रतीत होता है-

1. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

II. राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत का वास्तविक अर्थ प्रधानमंत्री के प्रसादपर्यंत है। (हाल ही में मोदी सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव)

III. प्रधानमंत्री, सदन का नेता होता है।

IV. वह विदेश नीति तथा अन्य नीतियों का निर्धारक होता है।

V. सामान्यतः चुनाव उसी के चेहरे को आधार बनाकर लड़े जाते हैं।

VI. प्रधानमंत्री की मृत्यु पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है।

VII. वह ~~प्रधा~~ राष्ट्रपति तथा संसद के मध्य कड़ी का कार्य करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

'स्पष्ट है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रीपरिषद् का मुखिया होता है किंतु उसकी वास्तविक ताकत उसके राजनीतिक आधार से तय होती है।"